फर्द अहकाम
न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद, जिला राजसमन्द

श्री हरि सिंह निवासी ग्राम स्वादड़ी ए तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

— अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द

— प्रत्यर्थी

मुकदमा — अपील सूचना का अधिकार, 2005 पत्रावली संख्या 28/2026

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 12.05.2026 पत्रावली पेश हुई। अपीलान्ट अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाईन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। "लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से जरिये पत्र क्रमांकः प.1( )सू0अ0, 05/प्रथम अपील/2026/287—88 दिनांक 12.05.2026 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का आर.टी.आई. आवेदन पत्र जरिये ऑन लाईन क्रमांक 244985816760160 से दिनांक 06.03.2026 को प्राप्त हुआ है। प्रार्थी के आवेदन के क्रम में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 1( )सू0अ0, 05/2026/135 दिनांक 10.03.2026 से प्रार्थी को अवगत कराया गया कि "आर.टी.आई. आवेदन पत्र का अवलोकन करने पर प्रार्थी द्वारा बिन्दु संख्या 01 से 05 की सूचना में न्यायालय से संबंधित वर्णित प्रकरण के निर्णय की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के सूचना के अधिकार के तहत चाही गई है। इस क्रम में न्यायालय में पंजिबद्ध प्रकरण दो पक्षकारो के मध्य निर्णित होता है तो रेवेन्यू कोर्ट्स मेन्युअल नियम 257 व 275 के अंतर्गत प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र पर प्रकरण में जो भी मूल प्रतियां होती है वह प्रतिलिपि एक्ट के प्रावधानो के अनुरूप दी जा सकती है। अतः रेवेन्यू कोर्ट्स मेन्युअल के विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत माननीय न्यायालय के प्रकरण से मूल प्रतियों की प्रतियां ही सत्य प्रतिलिपि के रूप में जारी किये जाने के प्रावधान है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने बाबत इस कार्यालय स्तर पर समय पर कार्यवाही की गई है। किसी भी प्रकार से विलम्ब नहीं किया गया है।	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द कि रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा न्यायालय से संबंधित वर्णित प्रकरण के निर्णय की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत चाही गई है उक्त संबंध में कार्यालय के पत्र क्रमांकः एफ.1( )सू0अ0,05/2026/135 दिनांक 10.03.2026 से वांछित सूचना के संबंध में रेवेन्यू कोर्ट्स मेन्युअल के नियम 257 व 275 के अंतर्गत प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र पर प्रकरण में जो भी मूल प्रतियां होती है वह प्रतिलिपि एक्ट के प्रावधानो के अनुरूप दी जा सकती है अतः रेवेन्यू कोर्ट्स मेन्युअल के विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत माननीय न्यायालय के प्रकरण से मूल प्रतियों की प्रतियां ही सत्य प्रतिलिपि के रूप में जारी किये जाने के प्रावधान है, बाबत प्रार्थी/अपीलार्थी को सूचित किया गया। और लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द द्वारा जरिये पत्रांक एफ.1( )सू0अ0,05/2026/135 दिनांक 10.03.2026 से वांछित सूचना के संबंध में अपीलार्थी को सूचित किये जाने से उक्त अपील को खारिज किया जाता है।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, तथा लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)